रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 225] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 12, 1973/भाद्र 21, 1895
No. 225] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 12, 1973/BHADRA 21, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th September, 1973

G.S.R. 432(E).—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Produce Cess Act 1966 (15 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Produce Cess Rules, 1969, namely:—

1. *Short Title.*—These Rules may be called the Produce Cess (Amendment) Rules, 1973.

2. In the Produce Cess Rules, 1969, in Form C, against item 8, for the words and brackets "Quantity of the oilseed crushed oil extracted and oilcake produced during the month (In quintals rounded off-less than one quintal is to be ignored)", the following words shall be substituted, namely:—

"Actual quantity of oilseeds crushed, oil extracted and oilcake produced during the month".

[No. F. 71-2/71-CAI].

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर 1973

सा०का०नि० 432 (अ).—उपज उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उपज उपकर नियम, 1969 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम**—इन नियमों का नाम उपज उपकर (संशोधन) नियम, 1973 है।

2. उपज उपकर नियम, 1969 में, प्ररूप ग में, मद 8 के सामने मास के दौरान कुटी हुई तिलहन, निकाले गए तेल और उत्पादित खली का परिमाण (पूर्णांकित क्वींटलों में एक क्विन्टल से कम को छोड़ दिया जाएगा)' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जायेंगे, अर्थात्

"मास के दौरान कुटी हुई तिलहन, निकाले गए तेल और उत्पादित खली का वास्तविक परिमाण"।

[सं० 71-2/71 सी ए आई]

G.S.R. 433(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966), read with sub-rule (I) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts with immediate effect payment of cess on oils extracted from oilseeds crushed, in any mill if the quantity of oil so extracted is less than one quintal, during a calendar month.

[F. No. 71-2/71-C.A.I.]

B. C. KAPUR, Addl. Secy.

सा० का० नि० 433 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के साथ पठित, उपज उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार किसी केलेंडर मास के दौरान किसी मिल में कुटी हुई तिलहन से निकाले गए तेल पर, यदि इस प्रकार निकाले गए तेल का परिमाण एक क्वींटल से कम हो, उपकर के संदाय से छूट देती है, जो तुरन्त प्रभावी होगी।

[सं० 71-27/1 सी० ए० आई]

बी० सी० कपूर, अपर सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973